हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

प्रकरण बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 की धारा 4 के अन्तर्गत वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने से बाधित करता है। ऐसी अवस्था में वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन करने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र में स्वयं यह अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्र0 3 के द्वारा वाद वर्णित भूमियों को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से क्रय की है। जो कि बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 की धारा 4 के अन्तर्गत बाधित है। यद्यपि वादी का यह कथन आधारहीन है। वाद वर्णित आराजी का खातेदार अनुसूचित जनजाति का है जबकि वादी सामान्य वर्ग से है बिना स्वामित्व के अधिकार घोषणा के वादी को वाद वर्णित आराजी पर किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार प्राप्त नही हो सकते। वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है।

वकील अप्रार्थी / वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वास्ते फार्महाउस की प्लानिंग करने के लिये क्रय की गयी थी। जिसकी सम्पूर्ण राशि वादी द्वारा अदा कर प्रतिवादी 2 व 3 के नाम से क्रय की गयी। किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ जाने से प्रतिवादी 2 व 3 वाद वर्णित आराजी में अपने नाम का फायदा उठाकर भूमि पर कब्जा करने एवं रहन बैचान करने पर आमादा होने से वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया गया है जो कि विधि का मिश्रित प्रश्न है। जिसका निर्धारण साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीयात विवेचन से होना है। इस स्तर पर वाद का निस्तारण प्रतिवादी के तथ्यों पर किया जाना न्यायोचित नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी के खातेदार प्रतिवादी सं0 2 व 3 है जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिस पर गेर अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार से घोषणा प्राप्त करने का धारा 42 आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों के कारण अधिकारी नहीं है। वाद वर्णित आराजी पर समस्त हक अधिकार प्रतिवादी सं0 2 व 3 में निहित है। केवल मात्र यह कहना कि वादी द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी क्रं0 2 व 3 के नाम स्वयं ने क्रय की है उक्त कथन से वादी के वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदत नहीं होते है। खातेदार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने से वाद वर्णित आराजी पर वादी के धारा 42 आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों के कारण कोई हक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते वाद विधि वर्जित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner